

प्रेषक,

राम केवल,  
विशेष सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
टीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,  
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 24 जुलाई, 2024

विषय- टीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जनपद स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-750/आ०प्र०के०-26(06)/2022-23, दिनांक 11.06.2024, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी विल्डिंग मद-11 से आपदा प्रबन्धन विषयक राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन, आपदा प्रबन्धन केन्द्र के संस्थागत व्यय तथा प्रशासनिक मद हेतु कुल धनराशि ₹ 91,28,222/- (इक्यान्तवे लाख अट्ठाईस हजार दोसौ बाईस मात्र) आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिकाानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः ₹ 21.60 लाख तथा ₹ 33.30 लाख, कुल धनराशि ₹ 54.90 लाख आवंटित किये जाने की संस्तुति की गयी। अप्रेजल समिति की संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में भी आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जनपद स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु धनराशि ₹ 54.90 लाख (चौवन लाख नब्बे हजार मात्र) स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदित पदान किया गया है।

क्र०	प्रशिक्षण कार्यक्रम	सत्र सं०	प्रति सत्र प्रतिभागी संख्या	कुल प्रतिभागी की सं०	सत्र संचालन हेतु प्रति सत्र बजट	कुल व्यय होने वाली धनराशि
1	राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	16	30	480	1,35,000	21,60,000
2	जनपद स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	37	30	1010	90,000	33,30,000
योग						54,90,000

2- अतः एक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य आपदा मोचन बल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में उक्त प्रस्तर-1 की तालिका पर उल्लिखित टीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित राज्य स्तरीय तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जनपद स्तरीय

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनराशि धनराशि रू0 54.90 लाख (चौवन लाख नव्वे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबंध-**

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार किया जायेगा। महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन्स के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ही समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे उससे इतर कोई कार्य/प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं कराया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/इंधन/सामग्री/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का होगा।
- (6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 54.90 लाख (चौवन लाख नव्वे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/वी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निगत किये जा रहे हैं।

Signed by  
Ram Kewal

Date: 24-07-2024 10:39:54

भवदीय,  
(राम कजल)  
विशेष सचिव

संख्या:-1033(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 50प्र0, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, 50प्र0 शासन।
- 3- राहत आयुक्त, 50प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 50प्र0, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 50प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, 50प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- राजस्व अनुभाग-11/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2024-2025  
आवंटन दिनांक-30/08/2024

प्रेषण संख्या:- 1033  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1033  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय  
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मुज़फ्फर नगर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
2	मेरठ-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
3	पीलीभीत-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
4	फतेहपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
5	प्रयागराज-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
6	झाँसी-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
7	जालौन-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
8	हमीरपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	270000 270000	270000 270000
9	बांदा -2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
10	मिर्ज़ापुर-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
11	जौनपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
12	बलिया-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
13	आजमगढ़-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
14	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2254-जिला० द्वारा नामित अधि-नए जिले-सं० निदे० आ० वि०अ , --01-दीनदयाल उपाध्याय रा० ग्रा० वि० स० लखनऊ	वर्तमान प्रगामी	2160000 2160000	2160000 2160000
15	रायबरेली-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
16	सीतापुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
17	हरदोई-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
18	लखीमपुर खीरी-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
19	अयोध्या-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
20	बहराइच-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
21	सुल्तानपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
22	प्रतापगढ़-2255-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , अफीम की कोठी- प्रताप०-01--	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
23	बाराबंकी-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
24	ललितपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	180000 180000	180000 180000
25	गाजियाबाद-2256-आचार्य - क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान , --01-आचार्य क्षे० ग्रा० वि० स०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
26	सोनभद्र-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
27	गौतमबुद्ध नगर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
28	बलरामपुर-2257-जिला प्रशिक्षण अधिकारी- जिला ग्राम्य विकास संस्थान , --01-जिला प्रशिक्षण अधि०	वर्तमान प्रगामी	90000 90000	90000 90000
	<b>योग</b>	वर्तमान प्रगामी	5490000 5490000	5490000 5490000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौवन लाख नब्बे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौवन लाख नब्बे हजार



(संतोष कुमार)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त संगठन

उ०प्र० शासन